न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 178/2025 G.C.M.S. No. 2025/714 दर्ज दिनांक : 07.11.2024

अपीलार्थिगण:

01 वजीर खान पुत्र रसूलाखा

02. पीरूखा पुत्र रसूलाखा

03 शकूर खा पुत्र रसूलाखा

04 कालूराम पुत्र वरदा

05 गणेशा पुत्र वरदा के कायम मुकाम वारिसान

5/1. मनोज कुमार गणेशाराम

5/2. विक्रम कुमार गणेशाराम

5/3. नटवर पुत्र गणेशाराम

5/4. पार्वती पुत्री गणेशाराम

5/5. मेतीदेवी पत्नी गणेशाराम

5/6 प्रवीण कुमार पुत्र गणेशाराम

6. चौथाराम पुत्र वरदा

7. सूजा राम पुत्र वदरा के कायम मुकाम वारिसान

7/1. कमलेश पुत्र सुजाराम

7/2 संजय पुत्र सुजाराम

7/3 मंगली देवी पत्नी सुजाराम

8 छटी पत्नी वरदा(फौत)

9. होसाराम पुत्र वरदा तमाम जातियान कुम्हार निवासी आहोर तहसील आहोर जिला जालोर

10. तालीब खा पुत्र हब्बास खा

11. बाबूखान पुत्र हब्बास खा

12. शाहरूखान पुत्र हब्बाज खां

13. समला पुत्री हब्बास खां

14. हुरमत पत्नी हब्बास खा, तमाम जातियान–कोटवाल मुसलमान, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. अजाराम चौधरी पुत्र भलाजी चौधरी निवासी किरवाला, तहसील भीनमाल

2. भगवानाराम पुत्र आंबाराम कौम चौधरी निवासी आलड़ी तहसील रानीवाड़ा

3. मोहनलाल पुत्र वरदा जाति कुम्हार निवासी आहोर तहसील आहोर

4. पिंकी पत्नी नीलेश, जाति जैन, निवासी आहोर, तहसील आहोर,

5. भूमिधारी तहसीलदार जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2016 बअनवान पिंकी बनाम वजीर खां में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.06.2022 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.04.2025 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2016 बअनवान पिंकी बनाम वजीर खां में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.06.2022 एवं 28.04.2025 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 04 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के में वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2022 व दिनांक 28.04.2025 को प्राथमिक डिक्री रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 के हक में जारी करने में कानूनी भूल की है। उक्त प्रकरण में दोनो प्राथमिक डिक्री सीधे ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 व की साक्ष्य शपथपत्र व मौखिक परिक्षण किए बिना ही जारी की गयी थी जो आदेश 18 व आदेश 19 सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों का उल्लघन करने हुये जारी की गयी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो वादपत्र प्रस्तुत किया था उसके समन अपीलांटस को प्राप्त नहीं हुये थे क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 04 वादिया ने तामिल कुनिन्दा से मिलावट करके नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की थी जबकि ऐसी कार्यवाही मोके पर नहीं की गयी। अपीलांट्स को किसी प्रकार से नोटिस प्राप्त नहीं हुये थे तथा आदेश 5 नियम 16 व 20 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में 2 प्राथमिक डिक्री समान विषय वस्तु पर समान पक्षकारो के विरूद्ध जारी की गयी। प्रथम प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.06.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के आधार पर जारी की गयी थी तथा दुसरी प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.04.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 वादी द्वारा पक्षकार संयोजित किये जाने पर जारी की गयी थी जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा किसी प्रकार वादपत्र में अनुतोष अपने हक में जारी करने हेतु अभिवचन नहीं किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.04.2025 प्रथम दृष्टया ही कानून विरूद्ध पारित किये जाने से स्वतः ही निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर के राजस्व वाद संख्या 116/2016 अनवान पिंकी बनाम वजीर खां में पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.06.2022 व 28.04.2025 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2022 एवं 28.04.2025 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार आहोर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 29.10.2025 को मौके पर उपस्थित होने का नोटिस प्राप्त हुआ था उसके बाद प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.10.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त वाद के संबध में खाराजोही की तो पता चला कि प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 04 ने वादग्रस्त खातेदारी आराजी के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। जिसमें तामिल कुनिन्दा से मिलावट करके समन आबाद मकान पर चस्पा कर एकपक्षीय कार्यवाही उक्त वाद में करवाई थी। प्रार्थीगण द्वारा दोनो निर्णय प्राथमिक डिक्री की प्रति दिनांक 31.10.2025 को मांगी गयी थी। जो उसी दिन प्राप्त हुयी। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है। अतः निर्णय दिनांक से इसकी जानकारी अपीलांट प्रतिवादीगण को होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविभाजित सहखातेदारी आराजी के विभाजन हेतु वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में आदेशिका दिनांक 27.12.2019 को वादी वकील द्वारा शहादत पेश नहीं करने से वादी शहादत पेश नहीं से वादी शहादत बन्द की गयी तथा वादपत्र में वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं वादपत्र साक्ष्य द्वारा साबित नहीं होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2022 एवं संसोधित डिक्री दिनांक 28.04.2025 को पारित कर दी गयी, जबकि वादपत्र में साक्ष्य पेश करने में असफलता की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 15 (4) के अंतर्गत वादपत्र उसी स्तर पर खारिज किया जा सकता है साथ ही वादपत्र में राजीनामा प्रस्तुत नहीं होने की दशा में वादी के लिये यह आज्ञापक है कि वह अपने वाद को साक्ष्य से साबित करे लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक प्रावधानो का अनुपालन नहीं करते हुए तथा वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के असफल रहने के बावजूद न केवल प्राथमिक डिक्री पारित की गयी, बल्कि वाद विचारण के दौरान आराजीयात का अंतरण हो जाने से क्रेता को बतौर वादी पक्षकार संयोजित करते हुए संसोधित डिक्री पारित कर दी गयी। जो पूर्णतया विधिविरूद्ध व आज्ञापक विधिक प्रक्रियाओ के प्रावधानो का अनुपालन नहीं करने काबिल अपास्त है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2016 बअनवान पिंकी बनाम वजीर खां में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.06.2022 एवं 28.04.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण में विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली